

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर**

16444 कमांक/स्था/विज्ञप्त/2018

दिनांक 19/04/2018

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 2-2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन निम्नलिखित सुपर स्पेशलिटी विभागों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। एमसीआई के मापदण्डानुसार योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 03.05.2018 शायं 5:30 बजे तक

क्र.	विषय	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC
1	एनेस्थेसिया	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
2	यूरोलोजी	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
3	नियोनेटोलोजी	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
4	गेस्ट्रोएंटोलोजी	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
5	नेफ्रोलोजी	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
6	सर्जिकल गेस्ट्रोएंटोलोजी	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
7	पीडियाट्रिक सर्जरी	02	01	-	-	02	01	-	-	02+1(F)	1	1	1
8	रेडियोलॉजिस्ट	1	-	-	-	01	-	-	-	1	1	-	-
	कुल	15	07	00	00	15	07	00	00	22	08	07	07

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

-पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

नोट- आवेदन पत्र एवं विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी ग.रा.चि.महाविद्यालय की स्थापना राजपत्रित शाखा से अधिष्ठाता की अनुमति पश्चात् प्राप्त की जा सकती है।

1. वेतनमान -

नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक-

37400-67000+ ग्रेड पे 10000+ डी.ए.

सह प्राध्यापक-

37400-67000+ ग्रेड पे 9000+ डी.ए.

सहायक प्राध्यापक-

15600-39100+ ग्रेड पे 7000+ डी.ए.

टीप- समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

• आयु सीमा-

न्यूनतम

प्राध्यापक -

35 वर्ष

सह प्राध्यापक -

30 वर्ष

सहायक प्राध्यापक -

25 वर्ष

टीप- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जायेगी।

- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
- अर्हतायें-
 - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता
- निरर्हतायें-
 - विकृत चित्त वाला होने पर।
 - दुश्चरित्र होने पर।
 - शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
 - विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
 - कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
 - कदाचरण संबंधी- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
 - ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी आपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
 - स्वास्थ्य संबंधी - मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम नह हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
- सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेंट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।
- स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
- चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पर के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

11. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में सेवाएँ देनी होंगी। आवेदक को इस बावत सम्यक रूप से स्टांपित एक बाइ नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

12. मध्यप्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

13. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:— स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2018 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

14. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश की वेबसाइट WWW.grmcgwali.org पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताएँ और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

// विज्ञापित सूचना //

- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन सुपर स्पेशलिटी विभागों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। इस हेतु एमसीआई अर्हता अनुसार योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में दिनांक 03.05.2018 सायंकाल 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश की वेबसाइट WWW.grmcgwaliior.org पर उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

नोट : सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

फोटो
स्वप्रमाणित

1. आवेदक का नाम -
2. पुरुष/महिला -
3. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित) -
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित) -
5.
शहर का नाम - फोन नंबर
मोबाइल नंबर - ईमेल आईडी
5. स्थायी पता -
- शहर का नाम - फोन नंबर -
- मोबाइल नंबर -
6. आधार कार्ड नंबर (हो तो) -
7. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें) -
8. दिनांक 01/01/2019 को आवेदक की आयु - दिन..... माह..... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति - विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक -
11. वर्ग: अनारक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग -.....
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
12. मेडीकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक -
- अ. (एम.बी.बी.एस.) -
ब. एमडी/एमएस -
स. एमसीएच/डीएम -

क	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MBBS First prof.						
2	MBBS Second prof.						
3	MBBS Final part I						
4	MBBS Final part II						
5	MD/MS/Mch/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरें)

नोट : प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाणपत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/ प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/ प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

स्थान.....
दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषण -पत्र //

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण। एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हास्ताक्षर